कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0 प्र0।

परिपत्रांक 21/27 /अधि0-2/कैश एण्ड कैरी दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 7, 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

विषयः—रबी अभियान 2016—17 में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु समितियों की कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में रबी अभियान के पीक सीजन के दौरान कृषकों की मॉग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्वीकृत कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी की जाती रही है। वर्तमान रबी अभियान में कतिपय मण्डलीय अधिकारियों द्वारा विशेष तौर पर पोटैशिक एवं फास्फेटिक उर्वरक की अधिक मॉग होने के कारण स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुए सहकारी समितियों की स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं।

1. जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, संयुक्त रूप से समीक्षा करके कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी का निर्धारण समितिवार कर लें। इस प्रकार निर्धारित बढ़ोत्तरी की स्वीकृत प्रदान की जाय तथा समिति की प्रबन्ध कमेटी का प्रस्ताव भी लिया जाय।
2. समितिवार स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी करते समय विगत तीन वर्ष के उर्वरक व्यवसाय एवं समिति में उपलब्ध भण्डारण क्षमता को संज्ञान में लिया जाये।
3. रबी अभियान 2016—17 में स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी की अवधि का भी निर्धारण किया जाय। निर्धारित अवधि के लिए स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी चार गुना के अन्तर्गत ही की जायेगी।
4. प्रयास किया जाय कि, स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी जिस अवधि के लिए की जाय, उस अवधि में बढ़े हुए उर्वरक स्टाक को इन्श्योरेन्स से अच्छादित करा लिया जाय।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए कैश एण्ड कैरी स्वीकृत ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी करते हुए रबी अभियान 2016—17 में कृषकों को उनकी मॉग के अनुरूप समय से उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक /अधि0-2/कैश एण्ड कैरी दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।

धक, इफको, 8--गोखले मार्ग, लखनऊ।
प्रबन्धक, कृभको, 21--विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, मुख्यालय।
उ0प्र0।
ारिता, उ0प्र0 शासन।

(एस0सी0 द्विवेदी)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिंग),
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।